



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



शुद्ध वृक्षरक्षक
ONE NATION - ONE FOREST - ONE FUTURE

पत्रांक-1561

/12.1 (अल्मोड़ा) :दिनांक: 5 फरवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गजार से क्वैराली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.31 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11370/2015).

सन्दर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१७८/२०१५/एफ०सी०/१७२६ दिनांक १९.११.२०१८

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 10.01.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 3328/12-1(2) दिनांक 23.01.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचना/विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The State Govt has informed that the CA area has been changed due to non availability of previous area. But, as per DSS report revised, CA area uploaded in KML file is 103.926 ha. and the same was mentioned in part I para L. Therefore, the state Govt. may upload correct KML file for DDS and submit original hard copy of revise CA area ownership proof. CA site suitability certificate and CA scheme.	प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य हेतु सी०ए० एरिया 10.62 है० वांछित है। पूर्व में अनुपालन आख्या ऑनलाईन करने के दौरान ऑनलाईन में Part I para L में त्रुटिवश 103.96 है० अंकित हो गया था, जो कि सम्पूर्ण ग्राम खेत में उपलब्ध एरिया है। वर्तमान में संशोधित व शुद्ध KML file बनाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित KML file ऑनलाईन पार्ट I पर अपलोड कर दिया गया है, परन्तु पूर्व में Part-I para L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल त्रुटिवश 103.96 है० अंकित किया गया था, जिसे प्रस्तावक विभाग के स्तर से संशोधित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक 2315 दिनांक 06.03.2021 के द्वारा प्रकरण पर तकनीकी कठियाई को ठीक करने हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा गया है। (प्रति संलग्न) उक्त के अतिरिक्त सी०ए० एरिया स्वामित्व प्रमाण पत्र (संलग्नक-01), सी०ए० एरिया उपयुक्तता प्रमाण पत्र (संलग्नक-02) एवं संशोधित सी०ए० एरिया योजना (संलग्नक-03) मूल में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिन्हे पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :- 1561 / 12.1 (अल्मोड़ा) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक 2327/12-1(2) दिनांक 23-01-2024 के क्रम में।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो०नि०वि०, द्वाराहाट।



(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।